

डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाका दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 165/2024

1. रामस्वरूप	पिसरान	जाति बिश्नोई निवासीगण
2. इन्द्रजीत	स्व. श्री हंसराज	चक 14 एस. टी.बी. ढाणी
3. सतपाल		तहसील पीलीबंगा
4. आत्माराम		जिला हनुमानगढ़
5. निहालचन्द		
6. वेदप्रकाश		

— वादीगण

— बनाम:—

1. शिवकुमार पुत्र स्व. श्री हंसराज जाति बिश्नोई निवासी 14 एस.टी.बी. ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:निर्णय:—

वादी की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इकबालदावा व राजपैरोकार इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि प्रस्तुत इकबालदावा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:—

1. वादी सं. 1 रामस्वरूप को प्राप्त भूमि:—

चक 14 एस.टी.बी. प.न. 15/343 (20) किला न 14/1/.114, 14/2/.012 खाला, 15/1/.202, 15/2/.051 खाला, 16/1/.228, 15/2/.025 खाला, 17/.127, 24/.063, 25/1/.228, 25/2/.025 खाला की 1.075 हैक्ट. मय खाला प.न. 16/343 (21) किला न. 20/.192 अ.क., 11/.028 की 0.220 हैक्ट. कुल 1.295 हैक्ट. भूमि मय खाला।

2. वादी सं. 2 इन्द्रजीत को प्राप्त भूमि:—

चक 14 एस.टी.बी. प.न. 15/343 (20) किला नं. 13/1/.228, 13/2/.025 खाला, 14/1/.114, 14/2/.013 खाला, 17/.126, 18/.253, 22/0.063, 23/.253, 24/.190, की 1.265 हैक्ट. भूमि मय खाला प.न. 16/343 (21) 11/.028 अ.क., 20/.038 . भूमि मय खाला की. 0.066 हैक्ट. भूमि कुल 1.331 हैक्ट. भूमि मय खाला

3. वादी सं. 3 सतपाल को प्राप्त भूमि:—

चक 14 एस.टी.बी. प.न. 15/343 (20) किला नं. 11/3/.202, 11/4/.025 खाला, 12/1/.228, 12/2/.025 खाला, 19/.253, 20/2/.228, 21/2/0.228, 22/.190, तादादी 1.379 हैक्ट. भूमि मय खाला प.न. 16/343 (21) 11/.015, 12/.016, 19/.024, 20/.023 की 0.078 हैक्ट. कुल 1.457 हैक्ट. भूमि मय खाला।

4. वादी सं. 4 आत्माराम को प्राप्त भूमि:—

चक 14 एस.टी.बी. प.न. 16/343 (21) किला नं. 8/.253 किला न. 9/2/.253, 19/.213, 12/.145, 13/.228 की 1.320 हैक्ट.



Handwritten signature and stamp of the District Collector, Pilibanga.

5. वादी सं. 5 निहालचन्द को प्राप्त भूमि—

चक 14 एस.टी.बी. प.न. 15/343 (20) किला नं. 1/2/.064, तादादी 0.064 हैक्ट.
प.न. 16/343 (21) किला न. 12/.048, 19/.016 की 0.064 हैक्ट. कुल 0.128 हैक्ट.।

6. वादी सं. 6 वेदप्रकाश को प्राप्त भूमि:—


चक 14 एस.टी.बी. प.न. 15/343 (20) किला नं. 8/.253, 9/.253, 10/2/.228,
1/2/.164 की 0.898 हैक्ट. प.न. 16/343 (21) 11/.093 की 0.093 हैक्ट. कुल 0.
991 हैक्ट.।

7. चक 14 एस.टी.बी. के प.न. 16/343 किला नं. 11/0.026, 12/.044, 2/0.025 व
पुर्व दिशा, 9/0.025 पुर्व दिशा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त भूमि नाम रहेगी।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा